



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान — 335702

सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष / Phone: 01498-61202,

वेबसाइट / Website: www.indiaseeds.com ईमेल / E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक:- के.रा.फा./ जैत/ 10-41/लकड़ी दुलाई/कृषि/2024-25

दिनांक :-10-07-2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला अनूपगढ़ (राजस्थान) के फार्म के भिन्न-भिन्न चकों (नहर के Land Plan area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पेड़ों एवं मृत / सूखे पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकड़ियों को "जहाँ हैं जैसा हैं" के आधार पर स्वयं के साधन से लाने के पश्चात् निर्धारण किये गये क्षेत्र (खंड -1 व 3) में जलाऊ तथा इमारती लकड़ियों को अलग-अलग कर सुव्यवस्थित ढंग से लगाने हेतु वर्ष 2024-25 (मार्च 2025 तक की अवधि तक) के लिए इच्छुक ठेकेदारों से खंडवार निविदाये दिनांक 16-07-2024 को दोपहर 2:30 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दोपहर 12:30 बजे तक ही किया जाएगा। एक ठेकेदार केवल एक ही खंड में भाग ले सकेगा। उपरोक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रुपये 25,000 प्रति खंड (रुपये पच्चीस हजार प्रति खंड मात्र) व निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 236.00 (200 + 18 % GST) हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट अथवा RTGS /NEFT/ Online Transfer के माध्यम से नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैतसर के नाम से SBI बैंक बाजूवाला (IFSC, Code SBIN 0008251, Account NO. 4153 2435 884) में जमा करानी होगी। नियम एवं शर्तों की जानकारी निगम की website – www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

नियम-शर्तें

फार्म के तीनों खंडों के भिन्न-भिन्न चकों (नहर के Land Plan Area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पड़े पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकड़ी की दुलाई की नियम व शर्तें :-

1. फार्म के तीनों खंडों के भिन्न-भिन्न चकों (नहर के Land Plan Area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पड़े एवं मृत / सूखे पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकड़ियों को "जहां है जैसा है" के आधार पर स्वयं के साधन से अलग-अलग कर लाना होगा। एवं जलाऊ लकड़ी व इमारती लकड़ी की दुलाई संबंधित खंड में खंड प्रभारी द्वारा बताये स्थान पर करनी होगी।
2. लकड़ी दुलाई के कार्य हेतु की निविदा में भाग लेने के लिए प्रति खंड धरोहर राशि अखरे रुपये 25000/- का डिमांड ड्राफ्ट नियम के खाते को जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करनी होगी (IFSC code SBIN0008251, Account No. 41532435884)
3. कार्यरत ठेकेदारों को फार्म के संबंधित चक प्रभारी, खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों अनुसार लकड़ी की दुलाई सम्बंधित खण्ड में निर्धारित Collection Point में सुव्यवस्थित ढग से लगानी होगी। चक से चालान लेकर ही ट्रौली चक से निकालनी होगी तथा चालान की एक प्रतिलिपि सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
4. तुलाई एवं ट्रौली भरने से पूर्व सुरक्षा विभाग से टोकन लेना होगा तुलाई का कार्य सांय 4:30 बजे तक ही करना होगा।
5. एक ठेकेदार केवल एक ही खंड में भाग ले सकेगा।
6. किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क प्रभार आदि को ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
7. ट्रांसपोर्ट का कार्य फार्म बाउंड्री के अन्दर ही करना होगा।
8. 2 फीट या उससे अधिक व्यास (लपेट) की सीधी लकड़ी के मोछा लगाकर इमारती लकड़ी के ढेर में लाकर रखना होगा।
9. खण्ड -1 की लकड़ी की तुलाई का कार्य खंड -1 में होगा तथा खण्ड - 2 व 3 की लकड़ी की तुलाई का कार्य खण्ड - 2 में होगा तुलाई के उपरांत खण्ड -1 की लकड़ी को खंड में तथा खण्ड - 2 व 3 की लकड़ी को खण्ड -3 में निर्धारित जगह पर रखनी होगी।
10. जलाऊ लकड़ी अलग लानी होगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जाना होगा की दुलाई कर लाई जा रही लकड़ी जलाऊ ही हो उसे अलग-अलग चट्टे में रखना होगा। जलाऊ लकड़ी में इमारती लकड़ी का मिश्रण ना हो।
11. इमारती लकड़ी के मोछा लगाकर लाना होगा। इमारती लकड़ी में जलाऊ लकड़ी का मिश्रण ना हो। इमारती व जलाऊ लकड़ी को अलग-अलग रखना होगा।
12. दुलाई का कार्य संतोषजनक पूरा होने पर ही धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस की जाएगी।
13. ठेके का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं करने तथा ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म क्षेत्र में किसी अन्य पेड़ व लकड़ी को अनाधिकृत रूप से काटता है अथवा फार्म संपत्ति को नुकसान करता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार की लकड़ी दुलाई के बिल एवं ठेका रद्द कर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
14. उक्त कार्य को करने का समय प्रांतः 8:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक करना होगा
15. पहचान-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
16. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा।
17. ऊपर दिए गए परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमों की परिभाषा, व्याख्या / वर्णन / अनुवाद फार्म प्रमुख केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर द्वारा दी जाएगी जो सर्वमान्य होगी।

18. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 1 वर्ष (31 मार्च 2025 तक) की होगी जिसे आवश्यकतानुसार घटाया / बढ़ाया जा सकता है | कार्य आदेश जारी होने के बाद कार्य को 7 (सात) दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा (ठेकेदार के Risk and cost पर) व धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी |
19. यदि फार्म प्रशासन को प्रतीत होगा की कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उस स्थिति में आवंटित ठेका किसी अन्य को दे दिया जायेगा | जिसके लिए संबंधित ठेकेदार ही जिम्मेवार होगा |
20. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा | उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रुपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से तस्दीक करवाकर , उसकी मूल प्रति तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्यस्थल पर मांगने पर देखायेगा | उसके अनुसार ही उन्हें कार्य टोकन जारी किया जायेगा |
21. ARBITRATION

यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान — 335702

सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष / Phone: 01498-61202,

वेबसाइट / Website: www.indiaseeds.com ईमेल / E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक:- के.रा.फा./ जैत/ 10-41/लकड़ी दुलाई/कृषि/2024-25

दिनांक :-10-07-2024

निविदा प्रपत्र

श्रीमान फार्म प्रमुख,

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर,

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक : के.रा.फा./ जैत. /10-41 /कृषि/ 2023-24/ दिनांक 10-07-2024 के द्वारा जारी निविदा सूचना के अंतर्गत फार्म के भिन्न - भिन्न चकों (नहर के Land plan area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पेड़ों एवं मृत / सूखे पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकड़ियों को “ जहां है जैसा है ” के आधार पर स्वयं के साधन से अलग - अलग कर सम्बंधित खंड में निर्धारित Collection Point में सुव्यस्थित ढंग से लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है नियम शर्तों के अनुसार वर्णित कार्य हेतु अपनी प्रस्तावित दर दे रहा हूँ / दे रही हूँ । मैंने नियम व शर्तों के अनुसार उक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रुपये 25,000 (अखरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अथवा RTGS/NEFT/Online जमा करवाकर रसीद साथ में सलंगन कर रहा हूँ । फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों को मैंने पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे स्वीकार है । मैं निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करूंगा / करूंगी ।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता / पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
4. दूरभाष नंबर / मोबाइल नं.
5. बैंक का नाम एवं पता , खाता नं. एवं IFSC Code :-
6. पैन नं.(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि सलंगन करें व पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक हो)
7. पहचान पत्र नं. (वोटर आई.डी. , आधार कार्ड आदि).....(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि सलंगन करें ।)
8. निविदा शुल्क रु - 236 /- (200 + GST 18 %) : रसीद सं.
दिनांकअथवा डिमांड ड्राफ्ट सं. / RTGS / NEFT नं.
.....दिनांकजारी कर्ता बैंक
शाखा(ड्राफ्ट सलंगन)

क्रमांक	कार्य का विवरण	खण्ड	दर प्रति क्विंटल (रूपये में) (सभी करों सहित)
1	फार्म के भिन्न - भिन्न चकों (नहर के Land Plan area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पेड़ों एवं मृत / सूखे पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकड़ियों को “ जहां हैं जैसा हैं ” के आधार पर स्वयं के साधन से अलग - अलग कर संबंधित खंड में निर्धारित Collection Point में सुव्यवस्थित ढंग से लगानी होगी ।	खण्ड-1	
		खण्ड-2	
		खण्ड-3	

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता